<u>न्यायालय सिविल जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा।</u>

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1476/2022

सरकार बनाम छोटे प्रजापति।

धारा–429 भा0दं0सं0।

धारा–11(1) K पशुओं के प्रति कूरता नि0अधि0।

धारा–5(ख) उत्तर प्रदेश गोवध नि0 अधि0

मु0अ0सं0–345/2022

थाना–कबरई।

जिला–महोबा।

<u>दिनांक–13.12.2022</u>

अभियुक्त छोटे प्रजापति पुत्र राम प्रसाद प्रजापति मु0अ0सं0–345/2022 धारा–429 भा0दं0सं0 एवं धारा–11(1) K पशुओं के प्रति कूरता नि0अधि0 व धारा–5(ख) उत्तर प्रदेश गोवध नि0 अधि0 थाना कबरई जिला महोबा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 12.12.2022 से जेल में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी को झूंठा व रजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई भी अपराध नहीं किया है और न ही किसी गोवंश की हत्या की है। प्रार्थी पर लगाया गया आरोप अजमानतीय है और जमानत योग्य है। प्रार्थी गरीब मजदूर व्यक्ति है जो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी के पास चल व अचल सम्पत्ति है, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत मुचलका पर रिहा करने की याचना की गई है।

सहायक विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अपनी आपत्ति में कथन किया है कि अपराध गंभीर प्रकृति का अजमानतीय है अतएव जमानत का सख्त विरोध किया जाता है।

सुना, प्रपत्रो का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र मय प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त छोटे प्रजापति पुत्र राम प्रसाद प्रजापति मु0अ0सं0–345/2022 धारा–429 भा0दं0सं0 एवं धारा–11(1) K

पशुओं के प्रति क्रूरता नि0अधि0 व धारा–5(ख) उत्तर प्रदेश गोवध नि0 अधि0 थाना कबरई जिला महोबा दिनांक 12.12.2022 से जेल में निरूद्ध है। उपरोक्तानुसार अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त द्वारा गो वंशीय पुशओं का बध करने की कुचेष्टा करने का आरोप दर्शित है। अपराध गंभीर प्रकृति का अजमानतीय होने एवं केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

1. दौरान जमानत अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग कर सकता है।
2. दौरान जमानत अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है।
3. दौरान जमानत अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने की आशंका है।

आदेश

अभियुक्त **छोटे प्रजापति** पुत्र राम प्रसाद प्रजापति मु0अ0सं0–345/2022 धारा–429 भा0दं0सं0 एवं धारा–11(1) K पशुओं के प्रति क्रूरता नि0अधि0 व धारा–5(ख) उत्तर प्रदेश गोवध नि0 अधि0 थाना कबरई जिला महोबा **जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त** किया जाता है।

प्रभारी सिविल जज (सी0डी0)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महोबा।